राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाषः–2415091-95, फेक्सः–0294 - 2410526

कमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 11)/2026/ई–17164

ई–नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि दिनांक 01–04–2026 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 31–03–2028 तक के लिये ई–नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि. के इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	.2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेड़ता व रियांबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी के प्रभावशील खनन पटटों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	ईआरसीसी	खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	77437274	12-10-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	3	सहायक खनि अभियन्ता, डीडवाना	जिला डीडवाना-कुचामन की तहसील डिडवाना के राजस्व ग्राम पावा कोनियाडा-कोडिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	13901251	12-10-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
3	18	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील डेगाना एवं रियांबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	52136172	12-10-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
4	35	खनि अभियन्ता, बिजौलियां	जिला भीलवाडा की तहसील बिजौलियां एवं माण्डलगढ व जिला चितौडगढ की तहसील बैंगू की राजस्व सीमा में स्वीकृत क्वारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन (पट्टी, फर्शी, ब्लोक, कोबल्स, खण्डा)	आरसीसी	सेण्डस्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	475915520	12-10-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

5	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील निम्बाहेड़ा, भदेसर, बड़ीसादड़ी, व डूंगला की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	123878815	12-10-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
6	237	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा कार्यालय क्षैत्राधिकार के तहसील निम्बाहेडा एवं भदेसर से स्वीकृत क्वारी लाईसेन्स से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन(पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	175552067	12-10-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
7	168	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. वसूली व खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी.,आर.एस.एम.ई.टी.वसूली ठेका	ईआरसीसी/ आरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क, प्रिमीयम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	666619821	13-10-2026	10.00 ए.एम. से 12. 00 दोपहर
8	63	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी (नवसृजित तहसील प्रतापगढ) की राजस्व सीमा मे खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	361403221	13-10-2026	11.00 ए.एम. से 01. 00 पी.एम.
9	58	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैंथल एवं कुण्डल की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	7366712	13-10-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
10	45	खनि अभियन्ता, झुंझुनु	जिला झुंझुनु की तहसील उदयपुरवाटी की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजापत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	338578403	13-10-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
11	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1576741	13-10-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

12	81	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजड़ला की राजस्व सीमा मे प्रभावशील क्वारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	531663	13-10-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
13	256	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बाड़मेर एवं जिला बालोतरा (तहसील सिवाना व समदड़ी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बॉल क्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बॉल क्ले	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, चायना क्ले व बाल क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	43623110	14-10-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
14	73	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली तहसील पाली मारवाड जक्शन, रोहट(ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली एवं उन्दरा को छोड़कर), सोजत एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टो से निर्गमित खनिज मेसेनरीस्टोन एवं रायोलाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	65256403	14-10-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
15	162	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बुन्दी की तहसील हिण्डोली एवं नैनवां (कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले खनन ग्राम की राजस्व सीमा) में खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले के स्वीकृत पटटो से निर्गमित खनिज रेड एवं यलो ऑकर व चाईना क्ले	ईआरसीसी	रेड ऑकर, येलो ऑकर व चाईना क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2724557	14-10-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
16	100 (247)	खनि अभियन्ता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाड़ा व नयागांव को छोड़कर) एवं जिला सलुम्बर की तहसील सराडा व सेमारी की राजस्व सीमा में खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट	ईआरसीसी	मार्बल, सरपेन्टाईटन, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	85797747	14-10-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
17	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाडा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	121311037	14-10-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
18	99	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा आबापुरा एवं छोटी सरवन की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	58451846	14-10-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

19	204	खनि अभियन्ता, बासंवाड़ा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	588084000	15-10-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
20	258	सहायक खनि अभियन्ता, सलूम्बर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर एवं साबला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1924624	15-10-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
21	101	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पटटो से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	35059241	15-10-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
22	189	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर व साबला को छोडकर शेष सम्पुर्ण जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमा मे प्रभावशील खननपट्टो से निर्गमित होने वाले खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोप स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14576946	15-10-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
23	9	खनि अभियन्ता, अजमेर	जिला अजमेर की तहसील अजमेर, पीसांगन व रूपनगढ की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टो से निकलने वाला खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	9373918	15-10-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
24	29	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील भीलवाडा व सहाडा व हमीरगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	90242190	15-10-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
25	112	सहायक खनि अभियन्ता, चूरू	जिला चूरू की तहसील बीदासर के क्षैत्र बीदासर कारी बाउन्ड्री में खनिज सैण्ड स्टोन के प्रभावशील कारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर)	आरसीसी	सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला एवं खण्डा (चिनाई पत्थर)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3012667	16-10-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

26	72	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली की तहसील रोहट के ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली, उन्दरा की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2579214	16-10-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
27	103	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव व खेरवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	25272676	16-10-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
28	80	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन	ईआरसीसी	सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	894097	16-10-2026	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें–

1 ई–नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित ''ठेके की आरक्षित राशि'' के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रूपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रूपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

2 विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 9 में ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं कॉलम संख्या 10 में ऑन लाईन बोली के निर्धारित समय (विस्तारित अवधि सम्मिलित नहीं) समाप्ति के पूर्व तक बोलीदाता सम्बन्धित ठेके की बिड प्रतिभूति राशि अपने ई–वॉलेट से जमा कर ई–नीलामी में भाग ले सकता है। ई–वॉलेट में जमा कराई गई लम्पसम राशि का ई–वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश जमा लम्पसम राशि ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक ई–वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित नहीं होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।

3 ठेकों की वार्षिक राशि ई–नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होगें। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्जेज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।

4 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण /सबलेट तथा अर्द्यपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।

5 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारीं लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारीं लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

6 ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते है।

7 ई–नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय–समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।

8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबवाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रकियाः–

1 ई–नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 व ई–मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 10000/– व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नही है।

(स) ई–नीलामीं की प्रक्रिया :–

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग–अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।

2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।

3 अमानत राशिं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।

4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है । नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें:–

i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई–नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ–पत्रः– यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ–पत्र तैयार किया जावें।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
नोट–शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / GSTIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ई मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढ़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317
M e-Sign

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 11)/2026/ई–17164

प्रतिलिपि :–

1– शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ /राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

य –सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी/जैतारण/डीडवाना/गंगापुर।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Prasad Meena
Designation : Director
Date: 2026.10.01 20:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24838317

M e-Sign